क्रमांक 4063–2 जी0 एस0–II–72–23712

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष आयुक्त अम्बाला मण्डल तथा सभी उपायुक्त और उप मण्डल अधिकारी।

2. रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट, चण्डीगढ़ और सभी जिला तथा न्यायाधीश हरियाणा।

दिनांक, चण्डीगढ़ 11 अगस्त, 1972।

विषय :– हरियाणा सेवा लोक आयोग/अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल द्वारा विज्ञापित पदों के लिये अस्थाई सरकारी कर्मचारियों के सीधा आवेदन पत्र भेजने पर रोक।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार के नोटिस में यह बात आई है कि अस्थाई रूप में लगे हुए सरकारी कर्मचारी हरियाणा लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ प्रवरण मण्डल द्वारा विज्ञापित पदों के लिये विभाग के माध्यम वा बजाये अपने आवेदन सीधे आयोग/बोर्ड को भेज देते हैं जबकि किसी भी हिदायत के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता, और इस प्रकार वह अनुशासनहीनता का व्यवहार करते हैं। आयोग/बोर्ड को सीधे आवेदन पद भेजने के कारण संबंधित विभाग विज्ञापित पदों के लिये इन आवेदन पत्रों में वर्णित योग्यताओं तथा अन्य आवश्यक तथ्यों का सत्यापन भी नहीं कर सकते। इस का नतीजा यह होता है कि अपूर्ण आवेदन पत्र तथा पद की सारी योग्यताएं पूर्ण न करने वाले अस्थाई कर्मचारियों के आवेदन आयोग/बोर्ड को पहुंच जाते हैं। इन्हीं अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपने पत्र क्रमांक 5301–ए0एस0 II-62/22862 दिनांक 16–7–1962, जो सारे विभागाध्यक्षों को संबंधित है (प्रति संलग्न) है द्वारा यह हिदायत जारी की थी कि आयोग द्वारा विज्ञापित पदों के लिये सरकारी कर्मचारियों के आवेदन पत्र भेजते समय इनमें वर्णित योग्यताओं की भली प्रकार जांच की जाया करे और उन कर्मचारियों के आवेदन पत्र आयोग को भेजे जायें जो पद की सारी योग्यताएं पूरी करते हैं। अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप यह स्थिति अपने अधीन काम कर रहे सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के ध्यान में ला दें कि भविष्य में कोई भी कर्मचारी, चाहे स्थाई हो या अस्थाई विज्ञापित पदों के लिये सीधे आयोग/बोर्ड को आवेदन पत्र कदापि न भेजे अन्यथा उन के विरुद्ध अनुशासहीनता के व्यवहार के लिये आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

(निदेशक रोजगार निदेशालय, हरियाणा के लिये :—

यह हिदायतें उन के अर्ध सरकारी पत्र क्रमांक ए–15 (टी) 7/24।1054, दिनांक 3 जुलाई 1972 में उठाए गए प्रश्न का निपटारा करती है।)

उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक प्रति सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये निम्नलिखित को भेजी जाती है :—